न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 8/2019

उनवान

1 1. हनुमान पुत्र नवलराम जाति अहीर निवासी सुतरखाना मौहल्ला नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. कालूराम पुत्र लादू जाति भांबी नि0 देराठू, नसीराबाद
2. प्रबन्धक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा नसीराबाद
3. राजसथान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
2 अनुपस्थित
3 जरियें राज0 पैरोकार

———————————————————————————————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

———————————————————————————————

—: आदेश :– दिनांक :–

प्रार्थी ने पूर्व में उक्त प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 5399 रकबा 0.39, 5401 रकबा 0.35, 5410 रकबा 0.38, 5416 रकबा 0.38 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है उक्त आराजी पर प्रार्थी कदीम से काबिज काश्त चला आ रहा है। एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु अपने खेतो पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 5426 व 5428 में से एवं खसरा नम्बर 5424 जो राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है में से आवागमन करता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु अप्रार्थी

——2

संख्या 1 व सिवायचक खसरा नम्बर 5424 में से 30 फिट चौडा रास्ता चाहता है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु अपने खेतो पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 5426 व 5428 में से एवं खसरा नम्बर 5424 जो राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है में से आवागमन कर रहा था। व उक्त आराजी में से रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया था। किन्तु खसरा नम्बर 5424 की किस्म गै0मु0 नाली है जो प्रतिबधित श्रेणी में आती है अतः प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते के रूप में अप्रार्थी के खसरा नम्बर 5412 व 5411 मे से रास्ता प्राप्त करना चाहता है। उक्त खसरा नम्बर भी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी के नाम ही दर्ज है। अतः प्रार्थी को अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 5426 व 5428 के स्थान पर खसरा नम्बर 5412 व 5411 में से रास्ता दिलवाये जाने की कृपा करावे। एवं प्रार्थी द्वारा इस आशय का संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार नसीराबाद ने भू अभिलेख निरीक्षक देराठू द्वारा तैयार रिपार्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तावित आराजी पर मौके पर कोई रास्ता नही है। प्रार्थी अपने आवागमन हेतु पंगडंडिया एवं खाली खेतों का उपयोग करता है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 5426 रकबा 0.10, 5428 रकबा 0.32 किस्म चा02 व सिवायचक खसरा नम्बर 5524 रकबा 0.24 किस्म गै0मु0 नाली में से रास्ता चाहा है। जो कि प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। चाहे गये रास्ते से कालूराम पुत्र लादू जाति भांबी खातेदार राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा नसीराबाद व सिवायचक भूमि ली जानी है। प्रस्तावित भूमि पर अन्य वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 5412 व 5411 में उपलब्ध है। खसरा नम्बर 5432 की किस्म गै0मु0 रास्ता है लेकिन यह ग्राम पंचायत चरागाह खाता संख्या 1393 में दर्ज है। वैकल्पिक रास्ते हेतु खसरा नम्बर 5412 में से 30.07 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 5411 में से 422.26 वर्ग मीटर भूमि ली जा सकती है जिसकी डी0एल0सी0 दर से राशि 18427/अठारह हजार चार सौ सताईस रूपये होती है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में भू अभिलेख निरीक्षक देराठू से जो रिपोर्ट प्राप्त हुयी है उस रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 5412 व 5411 में से रास्ता देने हेतु अप्रार्थी सहमत है। न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के एवज में नियमानुसार अप्रार्थी को मुआवजा राशि दिलवायी जावे

——3

उसके पश्चात ही राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करावे। उक्तानुसार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को रास्ता दिलवाया जाता है तो अप्रार्थी को आपति नही है।

प्रार्थना पत्र उभयपक्ष को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम देराठू के खसरा नम्बर नम्बर 5399 रकबा 0.39, 5401 रकबा 0.35, 5410 रकबा 0.38, 5416 रकबा 0.38 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में चाहे गये रास्तें के खसरा नम्बर 5426 व 5428 व संशोधित प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्तें के खसरा नम्बर 5411 व 5412 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम रहन दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा पूर्व में चाहे गये रास्तें में सिवायवचक खसरा नम्बर 5424 की किस्म गै0मु0 नाली दर्ज है, जो प्रतिबधित श्रेणी में आती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर खसरा नम्बर 5411 व 5412 में से रास्ता दिये जाने की सहमती पेश की है। मौका रिपोर्ट में बताये गये वैकल्पिक रास्तें के सम्बन्ध में प्रार्थी व अप्रार्थी सहमत है। मौके पर प्रार्थी के खेतों पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता विधमान नही है। धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 कि मूल भावना यह है कि क्या रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक है और क्या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है? इसका परीक्षण किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता साबित होती है। प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट में अंकित वैकल्पिक रास्ते हेतु उभयपक्ष सहमत है। पत्रावली पर प्रार्थना पत्र के खण्डन के कोई तथ्य नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **''स्वीकार''** किया जाता है। प्रार्थना पत्र में प्राप्त मौका रिपार्ट व उभयपक्ष की सहमती के अनुसार खसरा नम्बर 5411 व 5412 में 27 फिट चौडा रास्ता प्रार्थी को आवागमन हेतु दिया जावे। तहसीलदार नसीराबाद राजस्व अभिलेख में ग्राम देराठू के खसरा नम्बर में से 5412 में से 30.07 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 5411 में से 422.26 वर्ग मीटर भूमि गै0मु0 रास्ता सिवायचक दर्ज करने की कार्यवाही करे। उक्त रकबे की डी0एल0सी0 राशि 18427/अठारह हजार चार सौ सताईस रूपये की दुगनी 36854/ छतीस हजार आठ सौ चोवन रूपये की राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान की जावे। उक्त राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान होने व खसरा नम्बर 5411 व 5412 के रहन का इन्द्राज हटने के पश्चात तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। शेष खर्चा पक्षकार स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2019.11.22 17:49:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: